

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**—:: मंत्रालय ::—**  
**महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर**  
**// आदेश //**

अटल नगर, दिनांक 23/05/2019

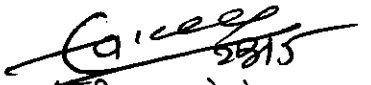
क्र. 239/F-01001066/ब-4/चार, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 1165, 1166/

F-04-1001066/सम./ब-4/चार, दिनांक 04.12.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के पद संरचना में संशोधन हेतु

गठित समिति में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

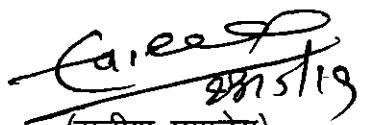
- |                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. संचालक बजट, वित्त विभाग                                                  | — अध्यक्ष |
| 2. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि<br>(जो उप सचिव से निम्न स्तर का न हो) | — सदस्य   |
| 3. संबंधित विभाग का बजट देखने वाले<br>संयुक्त सचिव/उप सचिव                  | — सदस्य   |
| 4. संयुक्त सचिव/उप सचिव, नियम शाखा                                          | — सदस्य   |

  
(सतीश पाण्डेय)  
अपर सचिव

पृ.क्र. 240/F-01001066/ब-4/चार,  
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 23/05/2019

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टॉफ आफिसर, मंत्रालय
3. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
4. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव के निज सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय,
5. समस्त अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
6. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,  
—की ओर सूचनार्थ ।

  
(सतीश पाण्डेय)  
अपर सचिव